2016 का विधेयक संख्यांक 304

[दि मैरिजेज (कम्पल्सरी रजिस्ट्रेशन एण्ड प्रीवेन्शन ऑफ वेस्टफुल एक्सपेन्डिचर) बिल, 2016 का हिन्दी रूपान्तर]

श्रीमती रंजीत रंजन, संसद सदस्य

का

विवाह (अनिवार्य पंजीकरण और अपचयकारक व्यय का निवारण) विधेयक, 2016

विवाहों में अत्यधिक व अपचयकारक व्यय का तथा विवाहों पर सम्पन्नता के दिखावे का प्रतिषेध करके विवाहों का साधारण अनुष्ठापन करने, देश में अनुष्ठापित सभी विवाहों का अनिवार्य पंजीकरण करने और विवाह समारोहों के दौरान खाद्य वस्तुओं की बर्बादी का निवारण करने तथा तत्संसक्त या उसके आनुषंगिक विषयों का उपबंध करने के लिए

विधेयक

भारत गणराज्य के सड़सठवें वर्ष में संसद द्वारा निम्नलिखित रूप में यह अधिनियमित हो:—

संक्षिप्त नाम और विस्तार।

1. (*1*) इस अधिनियम का संक्षिप्त नाम विवाह (अनिवार्य पंजीकरण और अपचयकारक व्यय का निवारण) अधिनियम, 2016 है।

(*2*) इसका विस्तार सम्पूर्ण भारत पर है।

परिभाषाएं।

2. इस अधिनियम में, जब तक कि संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो—

(क) "समुचित सरकार" से किसी राज्य के मामले में उस राज्य की सरकार और अन्य सभी मामलों में केन्द्रीय सरकार अभिप्रेत है;

(ख) ''अभिहित प्राधिकारी'' से इस अधिनियम के अधीन विवाहों के पंजीकरण के प्रयोजन से अभिहित किया गया कोई प्राधिकारी या अधिकारी अभिप्रेत है;

(ग) ''विवाह पर व्यय'' के अन्तर्गत वर अथवा वधू पक्ष द्वारा विवाह आयोजनों पर अर्थात् निमंत्रण पत्र, सजावट, टेन्ट वाले पंडाल, रोशनी व्यवस्था, आतिशबाजी, मध्याह्न भोजन, रात्रि भोज, वस्त्र, आभूषण, उपहार, बारात घर, सामुदायिक केन्द्र, बैंक्वेट हॉल अथवा उच्च कोटि के या साधारण होटल, फार्म हाउस, पार्क एवं अन्य ऐसे स्थान किराए पर लेने, बैंड, संगीत मंडली एवं नर्तकों, विडियो जॉकी, फिल्म और टेलीविजन के सितारों, हैलिकॉप्टर या हवाई जहाज, कार और अन्य वाहन फूल एवं अन्य सजावट, अश्व तथा अश्व-रथों पर किया गया व्यय, दहेज या स्त्रीधन माने जाने वाली कोई अन्य वस्तु और विवाह समारोह अथवा इससे संबंधित स्वागत समारोह की मेजबानी के दौरान किया गया व्यय शामिल है; और

(घ) ''विहित'' से इस अधिनियम के अधीन बनाए गए नियमों द्वारा विहित अभिप्रेत है।

साधारण विवाह का अनिवार्य अनुष्ठापन।

3. (*1*) तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि अथवा किसी रूढ़ि या संस्कार में अंतर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी सभी विवाहों का अनुष्ठापन सरल तरीके से अत्यधिक व अपचयकारक व्यय तथा धन-प्रदर्शन और विवाह पर फिजूल खर्च के बिना किया जाएगा।

(*2*) उप-धारा (*1*) में अंतर्विष्ट उपबंधों की व्यापकता पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना साधारण विवाह के अन्तर्गत शामिल होगा। विवाह में व्यय की सीमा परिवार की वार्षिक आय के पच्चीस प्रतिशत के बराबर किन्तु पांच लाख रुपये की उच्चतम सीमा के अध्यधीन होगी:

परंतु यदि कोई परिवार विवाह पर पांच लाख रुपये से अधिक व्यय करना चाहता है, तो वह परिवार खर्च की जाने वाली राशि की समुचित सरकार के समक्ष पहले से घोषणा करेगा और उक्त राशि का दस प्रतिशत एक ऐसी कल्याण निधि में देगा, जिसकी स्थापना समुचित सरकार द्वारा गरीबों और गरीबी रेखा के नीचे के परिवारों को, उनकी पुत्रियों के विवाह के लिए, ऐसी रीति से सहायता देने हेतु की जाएगी जैसी विहित की जाए।

(*3*) समुचित सरकार इस अधिनियम के उपबन्धों को लागू करने के लिए पालन किए जाने वाले आवश्यक दिशानिर्देश जारी करेगी।

विवाह समारोहों के दौरान खाद्य वस्तुओं की बर्बादी का निवारण।

4. (*1*) किसी समुदाय, धर्म, जनजाति अथवा जाति की किसी रूढ़ि अथवा संस्कार के होते हुए भी, किसी विवाह के आयोजन अथवा उसके स्वागत समारोह के दौरान परोसे जाने वाली खाद्य वस्तुओं की बर्बादी एतद्द्वारा प्रतिषेध की जाती है।

(*2*) पूर्वगामी उपबंध की व्यापकता पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, समुचित सरकार विवाह के अनुष्ठापन अथवा तत्पश्चात् आयोजित स्वागत समारोह हेतु अतिथियों और रिश्तेदारों की संख्या तथा अतिथियों और रिश्तेदारों को परोसे जाने वाले पकवानों की संख्या निर्धारित कर सकेगी, जिन्हें वह समझे कि वे खाद्य वस्तुओं की बर्बादी को रोकने के लिए आवश्यक या समीचीन हैं।

विवाहों का अनिवार्य पंजीकरण।

5. (*1*) तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि में अंतर्विष्ट किसी बात अथवा इसके प्रतिकूल किसी रूढ़ि या प्रथा के होते हुए भी, इस अधिनियम के प्रारंभ होने के बाद देश में अनुष्ठापित सभी विवाहों का विवाह के अनुष्ठापन के साठ दिनों के भीतर ऐसी रीति से पंजीकरण कराया जाएगा, जो विहित की जाए।

(*2*) उप-धारा (*1*) के प्रयोजन से समुचित सरकार राजपत्र में अधिसूचना द्वारा, अपनी क्षेत्रीय अधिकारिता के भीतर ऐसे प्रत्येक जिले में विवाह के पंजीकरण के लिए एक प्राधिकारी या अधिकारी अभिहित करेगी।

(*3*) अभिहित प्राधिकारी विवाह का एक रजिस्टर रखेगा, जिसमें ऐसी विशिष्टियां और ब्यौरे शामिल होंगे, जो विहित किए जाएं और वह इन्हें इलेक्ट्रॉनिक रूप में भी रखेगा।

(*4*) समुचित सरकार विवाह के अनुष्ठापन से संबंधित ऐसे दस्तावेज विहित करेगी जिन्हें विवाह के पंजीकरण हेतु प्रस्तुत किया जाएगा।

(5) इस धारा के अधीन विवाह के पंजीकरण के पश्चात्, विवाहित युगल को एक विवाह प्रमाणपत्र जारी किया जाएगा जिसमें ऐसा ब्यौरा दिया जाएगा जो विहित किया जाए।

(6) तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि में अंतर्विष्ट किसी बात के या किसी रूढ़ि के होते हुए भी, इस अधिनियम के प्रारंभ होने के पश्चात् अनुष्ठापित विवाह अकृत और शून्य हो जाएगा, अगर ऐसे विवाह के अनुष्ठापन के साठ दिनों के भीतर उसका पंजीकरण न कराया जाए।

शास्ति।

6. जो भी व्यक्ति,—

(क) धारा 3 के उपबंधों का उल्लंघन करेगा वह साधारण कारावास से, जिसकी अवधि तीन वर्ष तक हो सकती है और ऐसे जुर्माने से, जो पांच लाख रुपये तक हो सकता है, दंडनीय होगा;

(ख) धारा 4 के उपबंधों का उल्लंघन करेगा वह साधारण कारावास से, जिसकी अवधि एक माह हो सकती है और ऐसे जुर्माने से, जो पचास हजार रुपये तक हो सकता है, दंडनीय होगा; और

(ग) अपने विवाह का विहित अवधि के भीतर पंजीकरण कराने में विफल रहता है या अपने विवाह के पंजीकरण की मिथ्या जानकारी देता है, वह साधारण कारावास से, जिसकी अवधि छह माह हो सकती है और ऐसे जुर्माने से, जो दो लाख रुपये तक हो सकता है, दंडनीय होगा।

केन्द्रीय सरकार निधियां मुहैया कराएगी।

7. केन्द्रीय सरकार, इस संबंध में संसद में विधि द्वारा सम्यक् विनियोग किए जाने के पश्चात् इस अधिनियम के प्रयोजनों को पूरा करने के लिए अपेक्षित निधियां मुहैया कराएगी।

कठिनाई दूर करने की शक्ति।

8. यदि इस अधिनियम के उपबंधों को लागू करने में कोई कठिनाई उत्पन्न होती है, तो केन्द्रीय सरकार, राजपत्र में प्रकाशित आदेश द्वारा, ऐसे उपबंध बना सकेगी, जो इस अधिनियम के उपबंधों के असंगत न हों, जिन्हें वह समझे कि वे कठिनाई को दूर करने के लिए आवश्यक या समीचीन हैं:

परन्तु ऐसा कोई आदेश, इस अधिनियम के आरंभ होने की तारीख से तीन वर्ष की अवधि की समाप्ति के पश्चात्, नहीं दिया जाएगा।

अधिनियम का अध्यारोही प्रभाव होगा।

9. तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि में अंतर्विष्ट किसी बात के असंगत होते हुए भी इस अधिनियम के उपबंध और इसके अधीन बनाए गए नियम लागू होंगे, लेकिन उपर्युक्त के सिवाए इस अधिनियम के उपबंध विवाहों पर तत्समय लागू किसी अन्य विधि के अतिरिक्त होंगे न कि उसके अल्पीकरण में।

नियम बनाने की शक्ति।

10. (1) केन्द्रीय सरकार इस अधिनियम के प्रयोजनों को पूरा करने के लिए राजपत्र में अधिसूचना द्वारा नियम बना सकेगी।

(2) इस अधिनियम के अधीन बनाया गया प्रत्येक नियम उसके बनाए जाने के पश्चात् यथाशीघ्र संसद के प्रत्येक सदन के समक्ष, जब वह सत्र में हो, कुल तीस दिन की अवधि के लिए रखा जाएगा जो एक सत्र में अथवा दो या अधिक आनुक्रमिक सत्रों में पूरी हो सकेगी और यदि पूर्वोक्त सत्र अथवा आनुक्रमिक सत्रों के ठीक बाद के सत्र के अवसान से पूर्व दोनों सदन उस नियम में कोई परिवर्तन अथवा उसे बातिल करने के लिए सहमत हो जाएं तो तत्पश्चात् यथास्थिति वह ऐसे परिवर्तित रूप में ही प्रभावी होगा अथवा निष्प्रभावी होगा। किंतु उस नियम के ऐसे परिवर्तित या निष्प्रभावी होने से उसके अधीन पहले की गई किसी बात की विधिमान्यता पर कोई प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ेगा।

उद्देश्यों और कारणों का कथन

हमारा देश अनेकता में एकता के लिए जाना जाता है क्योंकि यहां विभिन्न धर्मों, समूहों, जातियों और समुदायों के लोग अपनी-अपनी या भिन्न-भिन्न संस्कृतियों, रीति-रिवाजों, परंपराओं को अनुसरण करते हुए मिलजुल कर रहते हैं। किन्तु इनमें एक बात आम है और वह है विवाह की व्यवस्था जिसे एक संस्थान की तरह माना जाता है। दो व्यक्तियों, अर्थात् पुरुष और महिला के विवाह के अनुष्ठान को काफी महत्व दिया जाता है। किन्तु दुर्भाग्यवश इन दिनों देश में विवाह समारोहों में आडम्बर, दिखावा तथा अति व्यय की प्रवृत्ति बढ़ रही है। शामियाना या बैंक्वेट हॉल सजाने में और इसके बाद पृष्ठभूमि में मंच-संचालक के रूप में वीडियो जॉकी तथा म्यूजिकल ग्रुप के कार्यक्रम के साथ भव्य भोज आयोजित करने पर लाखों रुपये खर्च कर दिए जाते हैं। कुछ लोग तो पांच सितारा या सात सितारा होटलों में आयोजित शादियों पर करोड़ों रुपये खर्च कर देते हैं। जहां हजारों बाराती हेलीकॉप्टर से आकर इन समारोहों में शामिल होते हैं। इन शादियों में शगुन के रूप में काफी पैसे तथा कभी-कभी मंहगी कारें और अन्य मूल्यवान वस्तुएं उपहार स्वरूप दी जाती हैं। कई लोग अपने काले धन को खर्च करने के लिए भी इस अवसर का उपयोग करते हैं। मीडिया भी 'पेज थ्री' में इन विवाहों का बढ़ा-चढाकर प्रचार-प्रसार करता है। इस प्रवृत्ति या उन्माद में लगातार वृद्धि हो रही है। बहुसंख्यक लोग, जो गरीब हैं, इस प्रकार के वैभव के लिए धन की व्यवस्था नहीं कर सकते और इसके बावजूद ऊंची ब्याज दर पर ऋण लेते हैं और ऋण के तले दब जाते हैं। कानून बनाकर विवाह जैसे शुभ अवसर पर पैसे की भूमिका को कम करके इस प्रवृत्ति पर अंकुश लगाना आवश्यक है।

विवाह कार्यक्रमों के दौरान एक और प्रवृत्ति जो देखी जाती है, वह है बड़े पैमाने पर खाने-पीने की चीजों की बर्बादी। एक विवाह में कई टन खाना बर्बाद हो जाता है जिससे कई गरीब लोगों का पेट भरा जा सकता है। भारत जैसे गरीब देश में जहां लगभग आधी आबादी को दो वक्त का भोजन नसीब नहीं हो पाता, वहां खाद्य पदार्थों की बर्बादी को निश्चित रूप से एक अपराध माना जाना चाहिए। पाकिस्तान में विवाह पार्टी में अतिथियों को केवल चार पकवान परोसे जा सकते हैं और पकवानों की बर्बादी को आपराधिक बर्बादी माना जाता है। वहां अतिथियों की संख्या भी सीमित होती है। हमारे देश में भी ऐसी ही कार्रवाई करने की आवश्यकता है।

अभी हाल ही में, भारत के उच्चतम न्यायालय ने अपने अधिकारों के लिए लड़ रही विवाहित महिलाओं की दुर्दशा से द्रवित होकर यह निर्णय दिया कि सभी विवाहों का पंजीकरण किया जाना चाहिए। उच्चतम न्यायालय का यह निर्णय अभी लागू होना बाकी है।

अत:, यह विधेयक प्रस्तुत है।

नई दिल्ली;
15 नवम्बर, 2016
24 कार्तिक, 1938 (शक)

रंजीत रंजन

वित्तीय ज्ञापन

विधेयक का खंड 3 उपबंध करता है कि समुचित सरकार गरीबों और गरीबी रेखा के नीचे के परिवारों को उनकी पुत्रियों के विवाह के लिए सहायता देने हेतु कल्याण निधि की स्थापना करेगी। विधेयक के खंड 5 में देश के हर जिले में पदनामित प्राधिकारी अथवा अधिकारी की नियुक्ति का उपबंध है। खंड 7 में यह बाध्यकारी उपबंध है कि केन्द्रीय सरकार विधेयक के प्रयोजनों को पूरा करने के लिए अपेक्षित निधियां प्रदान करेगी। इस विधेयक के अधिनियमित होने पर भारत की संचित निधि से व्यय होगा। इस समय अनुमानित व्यय निर्धारित करना संभव नहीं है। फिर भी, अनुमान है कि इस पर भारत की संचित निधि में से दो सौ करोड़ रुपये प्रतिवर्ष का वार्षिक आवर्ती व्यय होगा है। भारत की संचित निधि से लगभग पांच सौ करोड़ रुपये का अनावर्ती व्यय भी होने की संभावना है।

प्रत्यायोजित विधान संबंधी ज्ञापन

विधेयक का खंड 10 केन्द्रीय सरकार को इस विधेयक के प्रयोजनों को पूरा करने के लिए नियम बनाने की शक्ति प्रदान करता है। चूंकि, नियम केवल ब्यौरे के मामले से संबंधित होंगे, इसलिए विधायी शक्ति का प्रत्यायोजन सामान्य प्रकार का है।

लोक सभा

विवाहों में अत्यधिक व अपचयकारक व्यय का तथा विवाहों पर सम्पन्नता के दिखावे का प्रतिषेध करके विवाहों का साधारण अनुष्ठापन करने, देश में अनुष्ठापित सभी विवाहों का अनिवार्य पंजीकरण करने और विवाह समारोहों के दौरान खाद्य वस्तुओं की बर्बादी का निवारण करने तथा तत्संसक्त या उसके आनुषंगिक विषयों का उपबंध करने के लिए

विधेयक

(श्रीमती रंजीत रंजन, संसद सदस्य)

GMGIPMRND—3565LS(S3)—02-12-2016.